फाइल नं0-71-1001/1672/2019

97/2023/1/341001/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 29 जून, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में पी0एम0एस0एस0वाई0-IV के तहत निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के विभिन्न विभागों के संचालन हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एस0पी0एस0/2023-24/4484, दिनॉक 26.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में पी0एम0एस0एस0वाई0-IV के तहत निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के विभिन्न विभागों के संचालन हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में पी0एम0एस0एस0वाई0-IV के तहत निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के विभिन्न विभागों के संचालन हेतु उपकरणों/सामग्री की सूची (संलग्नक के अनुसार) अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0एस0वाई0), मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ में से रू0 7,43,53,601.00 (रू0 सात करोड़ तैतालिस लाख तिरपन हजार छः सौ एक मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. पी0एम0एस0एस0वाई ब्लाक का संचालन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे सम्बन्धित उपकरणों एंव अन्य प्रकिया का अनुपालन समयबद्ध ढ़ग से सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपकरणों के क्रय में वित्तीय नियमों का परिपालन एवं मितव्ययिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से प्रस्तावित उपकरणों के क्रय में द्विरावृत्ति न हो एवं इस आशय का प्रमाण पत्र क्रयादेश जारी करने से पूर्व सम्बंधित विभागाध्यक्षों से प्राप्त कर क्रय पत्रावली में रक्षित करेंगे |
4. क्रय किये जा रहे मानकीकृत उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुरूप की जाएँगी | अन्य उपकरणों की विशिष्टियां प्रधानाचार्य (गैर मानकीकृत) द्वारा कॉलेज स्तर पर ही स्थानीय विषयविशेषज्ञों की समिति से- निर्धारित करा लें। तकनीकी विशिष्टियां गुणवतापूर्ण हो एवं उनके निर्धारण में किसी ब्राण्ड विशेष को लाभ न मिलता हो , यह सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
5. उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेशसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तारदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
6. उपकरणों की गुणवत्ता, मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
7. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
12. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
13. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा.निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0)/2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख तक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा रू0 50.00 लाख क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।
17. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं प्रधानाचार्य की होगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,43,53,601 (रुपये सात करोड़ तैंतालीस लाख तिरपन हजार छह सौ एक मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051006 मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू.

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संलग्नक-

S.No.	Department	Name of Equipment	Qty.	Unit Price Rs.	Total Price Rs.
1	**Cardiology**	Portable Colour Doppler Echo Cardigraphy Systems	1	7,94,765	7,94,765
2	**CTVS**	Semi Regid Thoracoscope	1	20,00,000	20,00,000
3		Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)-2D, 4K with ICG	1	75,00,000	75,00,000
4		Hand Instruments vats & mini Thoractomy Instruments	1	25,00,000	25,00,000
5		Regid Thoracoscope	1	20,00,000	20,00,000
6	**Urology**	Ultrasonic Energy Source for Laparoscopy/Harmonic Scalpel with all standard accessories	1	25,00,000	25,00,000
7		Harmonic shear/ Probe	10	28,000	2,80,000
8		Harmonic Ace+ (LAP)	10	35,000	3,50,000
9		Chip and Tip Flexible Ureterovideoscope with Camera system with all standard accessories	3	15,00,000	45,00,000
10		Upper and Lower Urinary Tract Instrument Including Bipolar resectoscope with all accessories for bipolar Prostate Surgery	1	33,92,348	33,92,348
11		Surgical Loupe	1	1,00,000	1,00,000
12		Surgical LED Head light with light source and standard accessories	1	1,00,000	1,00,000
13		Laser Fibers for Holmium laser prostectomy	10	20,000	2,00,000
14		Laser Fibers for Holmium laser for use in RIRS	50	25,000	12,50,000
15		Hand Instruments set for Laproscopic Surgery	1	9,42,466	9,42,466
16		Laparoscopic Satinsky and Bulldog Clamp	4	50,000	2,00,000
17		Laparoscopic Heamolok clip applicator 10mm	1	50,000	50,000
18		General Surgery Instrument Set (Assorted- List will be provided by us)	1	30,00,000	30,00,000
19		Portable OT Light- for minor OT	1	1,00,000	1,00,000
20		Ultrasound with Color Doppler (withTRUS Probe and guided biopsy port)	1	18,73,599	18,73,599
21		PCNL Set	2	15,00,000	30,00,000
22		C-Arm (Urology)	1	25,00,000	25,00,000
23		Indian OT Table C-Arm Compitable for minor OT	1	2,50,000	2,50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	**Neuro Surgery**	CUSA	1	30,00,000	30,00,000
25	**Gastroenterology**	Endoscopic USG (Olympus)	1	90,47,741	90,47,741
26	**Paediatric Surgery**	Neonatal Ventilator	2	23,86,341	47,72,682
27		Required Harmonic System with Probes	1	2,500,000	25,00,000
				Total Amount	**5,87,03,601**

S.No.	**Perticulars**	**Qty.**	**Unit Price Rs.**	**Total Price Rs.**
1	Computer System (i7 Processor, 12 Generation, 16GB RAM, 512-SSD, 22 INCH MONITOR, 3 YEAR WARRANTY, WINDOW 11 PRO ORIGINAL)	100	90,000	90,00,000
2	Printer (Duplex)	30	18,000	5,40,000
3	MFP Printer	30	25,000	7,50,000
4	UPS 1KVA	50	5,500	2,75,000
5	UPS 650VA	50	2,700	1,35,000
6	Photocopy Machine (Colour)	01	3,00,000	3,00,000
7	Photocopy Machine	02	2,75,000	5,50,000
8	Smart Board/Interactive Panels (65-inch)	8	4,00,000	32,00,000
9	Smart Board/Interactive Panels (98-inch)	1	5,00,000	5,00,000
10	Vedio Conferencing System	1	4,00,000	4,00,000
	Total Amount			**1,56,50,000**
Grand Total (Equipment + Computer, Printer, UPS, Photocopy Machine, Smart Board/Interactive Panels and Vedio Conferencing System)				**7,43,53,601**

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।